(241)

(348)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल अधिकारी महोदय ग्वालियर म.प्र. (सर्किट कोर्ट - रीवा कैम्प)

R- 5128-दो

निगरानी प्रकरण क्रं........./15

481
26.10.15

बसंती पत्नी ददुल्ला कुम्हार निवासी करहीपर्वा तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र........... अपीलार्थी/**निगराकार**

बनाम

1–छोटाई पिता ददुल्ला कुम्हार सा.करही पवाई

2–गुल्लबा पिता ददुल्ला कुम्हार

3–चन्दू पिता टिर्रा

श्री. महेन्द्र कुमार ... एड
द्वारा आज दिनांक 26.10.15 के
प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

4–लल्ला

5–विदूटी

6–भगवनिया

7–टेढ़ी

8–छोटकी सभी के पिता स्व.टिर्रा कुम्हार निवासी ग्राम करही पवाई तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र...रेस्पा./**गैरनिग.गण**

निगरानी अन्तर्गत धारा 50का.मा. विरूद्ध आदेश दिनांक 29.09.12 न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील रघुराजनगर जिला सतना के राजस्व.प्र.क्रं.248/अपी. 2010–11

नि.का.
वसंती

......2

(241)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक निग05128—II / 2015 जिला—सतना

श्रीमती बसंती कुम्हार / छोटाई कुम्हार

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार अग्निहोत्री उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील रघुराजनगर के प्रकरण क्रमांक 248 / अपील / 2010—11 में पारित आदेश दिनांक 29.09.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	